न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–160 / 2018

1. प्रहलाद पुत्र श्री मंगलाराम, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री रामनाथ, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।

–––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 01.08.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर राजस्थान के आदेश दिनांक 01.05.2018 (प्रकरण संख्या 8 / 17) के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र कन्हैयालाल बनाम प्रहलाद दिनांक 15.05.17 को प्रस्तुत किया जिसमें अपीलार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के रूप में पक्षकार बनाया गया तथा उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.04.2018 को अपीलार्थीगण को सुनवाई हेतु दिनांक 01.05.18 हेतु नोटिस जारी किया गये जो अपीलार्थी को प्राप्त हुऐ जिसके आधार पर अपीलार्थी दिनांक 01.05.18 को अधीनस्थ न्यायालय के यहॉ उपस्थित हुआ तो न्यायालय के कर्मचारीगण से अर्पालार्थी को जानकारी हुई कि राजस्व कैम्प होने के कारण आज तारीख पेशी न्यायालय में नही है, और न्यायालय के रीडर साहब व उपखण्ड अधिकारी आमेर भी राजस्व कैम्प में गये हुए है इसलिये अपीलार्थी आगामी कार्य दिवस को प्रार्थना पत्र व अपीलार्थी के अधिवक्ता का वकालतनामा न्यायालय में प्रस्तुत करें क्योंकि आज पत्रावली न्यायालय में मौजूद नही है और ना ही न्यायालय के अधिकारी, प्रस्तुतकार भी राजस्व कैम्प में गये हुऐ है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 02.05.2018 को अपीलार्थीगण के अधिवक्ता उक्त पत्रावली में अपीलार्थी की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया तो अपीलार्थी के अधिवक्ता को पत्रावली की जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.18 को उक्त पत्रावली राजस्व कैम्प अचरोल में निर्णित की जा चुकी है जिसकी जानकारी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई तब हुई, उन्होने कथन किया अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.04.18 में उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु अपीलार्थी को प्रथम बार नोटिस जारी किया गया जिसकी प्राप्ति के उपरान्त ही प्रार्थी जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.05.18 को प्रस्तुत हुआ लेकिन

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली को राजस्व कैम्प अचरोल में ले जाकर आदेश पारित किया गया है जबकि कानूनन राजस्व कैम्प में भी पत्रावली सुनवाई हेतु निश्चित किये जाने पर साधारण नोटिस से पक्षकारों को सूचित किये जाने का प्रावधान आज्ञापक है जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प अचरोल की कोई सूचना अपीलार्थी को नही दी गई और आदेश दिनांक 01.05.18 में भी प्रार्थी कन्हैयालाल उपस्थित नही हुआ बल्कि उसका पुत्र मुकेश कुमार की उपस्थिति दर्ज करते हुए निर्णय पारित किया गया है, जो कि आदेश दिनांक 01.05.18 काबिले अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम जालसू में स्थित है तथा दिनांक 23.04.18 को राज्य सरकार द्वारा जो कैम्प लिस्ट उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा जारी की गई है, में जालसू कैम्प का शिविर दिनांक 15.05.18 को नियत किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कन्हैयालाल बनाम प्रहलाद वगैरहा बिना किसी राजस्व कैम्प की सूचना अपीलार्थी को दिये बिना ही तामील की अवधारणा लेते हुए मात्र इस आधार पर कि 01.05.2018 को पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गंभीर कानूनी व तथ्यात्मक भूल कारित की है जबकि सीमाज्ञान की कोई जानकारी अपीलार्थी को नही है और ना ही इसके बाबत कोई नोटिस व सूचना अपीलार्थीगण को नही दी गई और ना ही सीमाज्ञान की रिपोर्ट पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर है, ऐसी स्थिति में उक्त आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध जो आदेश दिनांक 01.05.18 को पारित करने में गंभीर कानूनी व तथ्यात्मक भूल कारित की है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.18 अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.18 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 35, 36, 37 कुल किता 3 कुल रकबा 0.88 हैक्टयर कि पत्थरगढी बाबत किया गया जबकि उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा अपीलार्थीग के पूर्वजों के समय से चला आ रहा है तथा उक्त भूमि पर अपीलार्धी बदस्तुर काबिज काश्तकार चला आ रहा है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी दिनांक 06.07.16 की जो रिपोर्ट पटवारी जालसू द्वारा बनाई गई है व मौके एवं रिकार्ड मे भिन्नता होना जाहिर किया गया है जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना कानूनी व न्यायसंगत है क्योंकि उक्त पत्थरगढी की कार्यवाही द्वारा रेस्पोडेन्ट से प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसके जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र की नकल व दस्तावेजात दिये बिना व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही राजस्व कैम्प अचरोल में पत्रावली का निर्णय किया गया है, जो कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

P.T.O.

सहायक कलक्टर

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.05.18 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलार्थी को प्रकरण मे सुनवई का समुचित अवसर प्रदान किया जावें ताकि अपीलार्थी को न्याय प्राप्त हो सके तथा न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति आ सके।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 36 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.43 हैक्टयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 हैक्टयर वाके ग्राम जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु अपने खेत की तारबन्दी कराकर सुरक्षित रखना चाहता है जिससे की सींवा जोड खातेदारों से कभी भी सीमा सम्बन्धी किसी बात पर कोई विवाद उत्पन्न न हो जिस कारण से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पूर्व में अपनी उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार आमेर के समक्ष आवेदन किया है जिस पर तहसीलदार के आदेश क्रमांक भू.अ./209/3286 दिनांक 15.10.2009 की पालना में सीमाज्ञान पड़ौसियों की मौजूदगी में दिनांक 26.10.2009 को किया गया उसके मुताबिक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पक्षकारान की सुनवाई हेतु विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प हेतु तारीख वाईज कार्यक्रम निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार ग्राम जालसू का कैम्प दिनांक 15.05.2018 को निर्धारित है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जालसू की पत्रावली पर अचरोल राजस्व कैम्प अचरोल में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तथा पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को तारीख पेशी दिनांक 01.05.18 के नोटिस जारी किये गये है किन्तु उक्त नोटिस से यह स्पष्ट नही होता है कि उक्त नोटिस राजस्व कैम्प कोर्ट अचरोल के नोटिस है एवं ऐसे में अपीलान्ट राजस्व कैम्प कोर्ट अचरोल पर उपस्थित नही हो सका है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल रेस्पोडेन्ट के पुत्र को सुनकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिससे अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहा है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2018 को उचित नही ठहराया जा सकता।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 01.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर